

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
भू-अर्जन निदेशालय, बिहार, पटना।

प्रसं०-14/डी०एल०ए०, (भारत-नेपाल सीमा पथ)-सीतामढ़ी-202/2013-...../रा०, पटना-15, दिनांक-...../...../2013
अधिसूचना

संख्या-15/डी०एल०ए०, सीतामढ़ी - 2858 /रा०, पटना, दि०-10-12-13

चूंकि बिहार सरकार को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-पिपरा कल्याण थाना नं०-14, राजस्व थाना-सीतामढ़ी, परगना कन्हौली अंचल-सोनबरसा, थाना-सोनबरसा जिला-सीतामढ़ी में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् ईन्डो नेमाल बोर्डर पथ निर्माण के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जा रही अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचना दिया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम-पिपरा कल्याण के अन्दर 2.64193 एकड़ भूमि अपेक्षित है, जो मानक माप से कर्मावश बी०/क०/धूर है, जो 2.64193 एकड़ के बराबर होता है जिसका खेसरा संख्या निम्नांकित है:-

खेसरासंख्या:- 01अ०, 29अ०, 25अ०, 28अ०, 26पूर्ण, 23अ०, 21अ०, 27अ०, 22अ०, 15अ०, 20अ०, 19अ०, 17अ०, 62अ०, 63अ०, 64अ०, 66अ०, 67अ०, 79अ०, 80अ०, 81अ०, 82अ०, 24अ०,

इसकी चौहद्दी निम्न प्रकार है:-

| | |
|---------|---|
| चौहद्दी | ग्राम- पिपरा कल्याण थाना नं०-14 |
| उत्तर | खेसरा सं० 167अ०, 01अ०, 25अ०, 23अ०, 22अ०, 15अ०, 19अ०, 17अ०, 18अ०, 36अ०, 64अ०, 65, 66अ०, 67अ०, 80अ०, |
| दक्षिण | खेसरा सं० 167अ०, 01अ०, 29अ०, 28अ०, 27अ०, 21अ०, 20अ०, 36अ०, 62अ०, 63अ०, 66अ०, 67अ०, 79अ०, 81अ०, 82अ०, |
| पूरव | आपलापराहा सिमान |
| पश्चिम | इटहरवा दुलारपुर सिमान |

यह अधिसूचना अधिनियम-1, 1894 (बिहार अधिनियम-11, 1961 द्वारा यथा संशोधित) की धारा-4 के उपबंधों के अधीन उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है, जिसका इरादा संबंध में।

उक्त भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन महाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है और चूंकि बिहार राज्यपाल की राय है कि कुल-2.64193 एकड़ भूमि भूमि योग्य तथा न्यूनतम अर्जन आवश्यक है। इसलिए उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन निदेश दिया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (ए) अंश के उपबंध उक्त भूमियों पर लागू नहीं होंगे।


समाहता,
सीतामढ़ी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



सरकार के अवर सचिव,
बिहार, पटना।

(P.T.O)


ज्ञापांक-15 / डी0एल0ए0, सीतामढ़ी / - 2858 / रा0,पटना, दिनांक-10-12-13

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित सी0डी0 के साथ दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो प्रकाशनार्थ। इसकी प्रकाशित प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपलब्ध कराया जाए।

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट, सीतामढ़ी को अधिसूचना की दो प्रतियों सहित गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित गजट की 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियों इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि-अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी / जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



6/12/13
सरकार के अवर सचिव,
बिहार, पटना।
e